

202032

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद प्राधम्य पत्र सं. 54/2020  
वादी रमेशचन्द्र

धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 RTA

ग्राम बामली

तहसील बारां

वकील :- श्री हरिओम चविवेदी एडवोकेट

बनाम

प्रतिवादी लंछी लाल वर्मा

दिनांक

आदेश पत्रक कार्यवाही एवं आदेश

वकील :-

13/7/2020

श्री हरिओम चविवेदी एडवोकेट ने वादीगण की ओर से वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट मिलान देवी गई कोई कमी नहीं है। दुबे रजिस्ट्रार किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया जावे। पञ्चावली वास्ते तलबी दि. 12/8/2020 को पेश हो।

विविध संदर्भ

17/8/20

अभिभाषण लिखित है क्योंकि रमेश जी सूचना की पञ्चावली अनेक दिनांक 16/9/20 को पेश है।

उप खण्ड अधिकारी बारां

16/9/20

मैट्रासीन अधिकारी श्री राज चन्द्र वर्मा से रहने से पूर्ववत दिनांक 11/10/20 को प्रस्तुत हो।

उप खण्ड अधिकारी बारां

7/10/20

पञ्चावली पेश है। तलबी वादी उपर पञ्चावली वास्ते तलबी दिनांक 26/11/20 को पेश है।

19/11/20

मैट्रासीन अधिकारी श्री राज चन्द्र वर्मा से रहने से पूर्ववत दिनांक 3/12/20 को प्रस्तुत हो।

उप खण्ड अधिकारी बारां

23/12/20

वकील वादी उपरिगत प्रतिवादी एडवोकेट लंछी लाल वर्मा से सम्मन वापस गरी। पत्र वास्ते तलब है। व. इतवार सम्मन एडवोकेट दिनांक 15/1/21 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी बारां



